उत्तराखंड बेरोजगार संघ
ukbsangh@gmail.com
सत्यमेव विजयते नानृतम्
(पंजी०)

पत्रांक:उ० बे० सं० 003/24-25/ दिनांक:10.04.2025

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(डाक प्राप्ति)
मुख्य सचिव कार्यालय

विषयः– श्री शम्भू पासवान को जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न मा0 न्यायालयों एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु दिशा–निर्देश निम्न हैः–

1– श्री शम्भू पासवान द्वारा मेयर निर्वाचन हेतु प्रस्तुत हलफनामा में अपनी शैक्षिक योग्यता में आठवीं पास बिहार राज्य से होना अंकित किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य में श्री शम्भू पासवान द्वारा भूमि क्रय कर प्राप्त की गयी है। श्री शम्भू पासवान के नाम पैत्रिक भूमि/सम्पति, इनके माता–पिता/पूर्वजों के नाम पैत्रिक भूमि/सम्पति संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी अनुसूचित जाति आदेश 1950 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत वर्ष 1950 में उत्तराखण्ड में श्री शम्भू पासवान के माता–पिता/पूर्वजों के नाम पैत्रिक भूमि/सम्पति नही है।

2– भारत का संविधान सर्वोच्च है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, की परिकल्पना की गई है। जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार समान स्थिति वाले सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण के अपने मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के हकदार हैं। अनुच्छेद 15 और 16 का उद्देश्य नागरिकों के बीच समानता है, लेकिन कुछ अपवाद भी प्रदान करते हैं। यह राज्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (4) में दिए गए अनुसार नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने और नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने में सक्षम बनाने के लिए सक्षम प्रावधानों की परिकल्पना करता है, जो राज्य की राय में अनुच्छेद 16 के खंड (4) में दिए गए अनुसार राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अनुच्छेद 16 के खंड (4) में निहित नागरिकों का पिछड़ा वर्ग शब्द में सभी आशय और तात्पर्य के लिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं।

3. संविधान के अनुच्छेद 266 के खंड (24) में 'अनुसूचित जाति' शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार "अनुसूचित जाति" का अर्थ ऐसी जातियाँ, नस्लें या जनजातियाँ या ऐसी जातियों, नस्लों या जनजातियों के भाग या समूह हैं जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियाँ माना जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 341, वह प्रक्रिया और

CamScanner

तरीका बताता है जिसके द्वारा जातियों को "अनुसूचित जातियाँ" के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। यह इस प्रकार है:–

"341. अनुसूचित जातियां:– (1) राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श के पश्चात, लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें मौजूद समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझी जाएंगी।

(2) संसद विधि द्वारा, खंड (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में किसी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या समूहों को सम्मिलित कर सकेगी, किन्तु जैसा पूर्वोक्त है उसके सिवाय, उक्त खंड के अधीन जारी की गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।"

4. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 (1) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 (समय–समय पर संशोधित) पारित किया, जिसके तहत जातियों को "अनुसूचित जातियांष के रूप में निर्दिष्ट किया गया। आदेश के पैराग्राफ (2) और (3) में निम्नानुसार प्रावधान है:–

"2. इस आदेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस आदेश की अनुसूची के भाग 1 से 25 में विनिर्दिष्ट जातियां, मूलवंश या जनजातियां अथवा उनके भाग या उनमें के समूह, उन राज्यों के संबंध में जिनसे वे भाग क्रमशः संबंधित हैं, अनुसूचित जातियां समझी जाएंगी जहां तक उनके सदस्य अनुसूची के उन भागों में उनके संबंध में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्रों में निवास करते हैं।

3. अनुच्छेद 2 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से भिन्न धर्म को मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।"

5. संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (2) को ध्यान में रखते हुए, निर्विवाद रूप से उक्त सूची में छेड़छाड़ करना संसद द्वारा बनाए गए कानून को छोड़कर, अस्वीकार्य है। संविधान आदेश के उपरोक्त पैराग्राफ को पढ़ने से पता चलता है कि किसी व्यक्ति की किसी इलाके के संबंध में "निवासी" स्थिति यह निर्धारित करने का केंद्र बिंदु है कि उसकी जाति "अनुसूचित" है या नहीं। भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा इस पहलू को बार–बार स्पष्ट किया गया है। जाति की स्थिति के संबंध में निवास के पहलू पर प्रकाश डालने के लिए दिनांक 22.03.1977 के निर्देश प्रासंगिक हैं। संचार इस प्रकार है:–

"इस प्रकार, किसी विशेष इलाके में किसी विशेष व्यक्ति का निवास विशेष महत्व रखता है। इस निवास को शब्द के उदार या सामान्य अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए। दूसरी ओर, यह उस इलाके के संबंध में उसकी जाति/जनजाति को निर्धारित करने वाले राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना की तिथि पर किसी व्यक्ति के स्थायी निवास को दर्शाता है।"

इसमें आगे विस्तार से बताया गया है:–

"इस प्रकार, कोई व्यक्ति जो अपने मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना के समय अस्थायी रूप से अपने स्थायी निवास स्थान से दूर है, उदाहरण के लिए, जीविकोपार्जन या शिक्षा प्राप्त करने आदि के लिए, उसे भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है, जैसा भी मामला हो, यदि उसकी जाति/जनजाति उसके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उस आदेश में

CamScanner

निर्दिष्ट की गई है। लेकिन उसे अपने अस्थायी निवास स्थान के संबंध में ऐसा नहीं माना जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि किसी राष्ट्रपति के आदेश में उस क्षेत्र के संबंध में उसकी जाति/जनजाति का नाम अनुसूचित किया गया है।"

राष्ट्रपति की अधिसूचना की तारीख के बाद पैदा हुए व्यक्तियों के संबंध में, इसमें निम्नानुसार प्रावधान है:–

"प्रासंगिक राष्ट्रपति आदेश की अधिसूचना की तारीख के बाद पैदा हुए व्यक्तियों के मामले में, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए निवास स्थान, राष्ट्रपति आदेश की अधिसूचना के समय उनके माता–पिता का स्थायी निवास स्थान होगा, जिसके तहत वे ऐसी जाति/जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं।"

6. समय के साथ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग, जो रोजगार की तलाश में या शिक्षा आदि के उद्देश्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते थे, उन्हें उस राज्य से जाति/जनजाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, जहां से वे प्रवास करते थे। इस कठिनाई को दूर करने के लिए, 22.03.1977 और 29.06.1982 के पत्रों में निहित पूर्व निर्देशों को भारत सरकार द्वारा दिनांक 18.11.1982 के अनुवर्ती पत्र द्वारा संशोधित किया गया था। सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए इस स्पष्टीकरण आदेश द्वारा, केवल यह सुविधा प्रदान की गई थी कि जिस राज्य/संघ शासित प्रदेश में व्यक्ति प्रवास करता था, उसके विहित प्राधिकारी को प्रवासी को उसके पिता/माता को उसके पिता/माता के मूल राज्य के विहित प्राधिकारी द्वारा जारी वास्तविक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर प्रमाण–पत्र जारी करने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते कि विहित प्राधिकारी किसी भी संदेह की स्थिति में मूल राज्य के माध्यम से मामले की जांच कर सके। इस प्रकार जारी किया जाने वाला प्रमाण–पत्र उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में होगा, जहां से संबंधित व्यक्ति प्रवास कर गया था, न कि उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, जहां वह प्रवास कर गया था। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि प्रवासी व्यक्ति ऐसे प्रमाण–पत्र के आधार पर उस राज्य में लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, जहां वह प्रवास कर गया था।

7. प्रवास के लिए कट–ऑफ तिथि की अवधि में कमी के प्रस्ताव को भारत सरकार ने 15.10.1987 को महाराष्ट्र सरकार के समाज कल्याण सचिव को संबोधित एक पत्र के माध्यम से खारिज कर दिया था। यह कहा गया था कि इस प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता था जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियाँ अखिल भारतीय आधार पर बनाई जातीं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के प्रावधानों के मद्देनजर संभव नहीं था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जो रोजगार की तलाश में या शैक्षणिक उद्देश्यों या इसी तरह के अन्य उद्देश्यों के लिए अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करता है, उसे उस राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति नहीं माना जा सकता है, जहाँ वह प्रवास करता है और इसलिए, वह बाद वाले राज्य में इस तरह के लाभ का दावा नहीं कर सकता है।

8. अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित व्यक्ति के मूल राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में प्रवास करने पर उसकी स्थिति के संबंध में विवाद माननीय न्यायालयों के समक्ष बार–बार विचार के लिए आया है। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने मर्री चंद्र शेखर राव बनाम डीन, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज और अन्य, (1990) 3 एससीसी 130 और महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर कार्रवाई समिति और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (1994) 5 एससीसी 244 में विवाद को सुलझाने के लिए संविधान की योजना की

CamScanner

व्याख्या की है।

9. मर्री चंद्र शेखर राव (सुप्रा) में संविधान पीठ ने कहा कि "उस राज्य के संबंध में "अभिव्यक्ति निरर्थक हो जाएगी यदि सभी राज्यों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों को दिए गए विशेषाधिकार या अधिकार आगे बढ़ाए जाते हैं। यह आरक्षण की योजना के पूरे उद्देश्य के साथ भी असंगत होगा। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश में, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि उस क्षेत्र में बढ़ने वाला कोई लड़का या बच्चा बाधित है या वंचित है। महाराष्ट्र में वह जाति या जनजाति इतनी बाधित नहीं हो सकती है लेकिन अन्य जातियां या जनजातियाँ हो सकती हैं। यदि कोई लड़का या बच्चा युवा लड़के या बच्चे के रूप में महाराष्ट्र के उस माहौल में जाता है और महाराष्ट्र के पूरी तरह से अलग माहौल में जाता है जहाँ यह अवरोध या यह असुविधा नहीं है, तो उसे वह आरक्षण नहीं कहा जा सकता है जो उस राज्य के किसी भी वर्ग से संबंधित बच्चों या महाराष्ट्र के लोगों को वंचित करेगा जिन्हें अभी भी उस सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है। यह ध्यान में रखना होगा कि महाराष्ट्र की वंचित जातियों या जनजातियों के साथ–साथ आंध्र प्रदेश की वंचित जातियों या जनजातियों के लिए भी संरक्षण आवश्यक है। इस प्रकार, उन लोगों के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है और जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, अर्थात, जो लाभ प्राप्त जातियों या जनजातियों से संबंधित हैं और जो नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत निर्धारण को पूरे देश के लिए वैध मानना संविधान के अनुच्छेद 15(4) के साथ अनुच्छेद 341 के मूल उद्देश्य और योजना और भाषा के विपरीत होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे प्रवासियों के भाग्य पर भी ध्यान दिया जहां प्रवास अनैच्छिक था और अपने फैसले के पैरा 21 में उस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया:–

"21. संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के प्रावधानों को जिस तरह से हमने किया है, उसके बाद अगला प्रश्न जो विचारणीय है, वह है उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के भाग्य का प्रश्न, जिन्हें मूल राज्यों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत होने का संरक्षण प्राप्त है, जब वे अपने पिता या अभिभावक के व्यवसाय या सेवा के स्थानांतरण या स्थानांतरण के कारण स्वैच्छिक स्थानांतरण के मामले में अन्य राज्यों में जाते हैं, तो क्या वे किसी प्रकार के सुरक्षात्मक उपचार के हकदार होंगे ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें या आगे बढ़ा सकें। ऐसी स्थिति के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जहां एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास अनैच्छिक है, रोजगार या पेशे की परिस्थितियों के कारण, ऐसे मामलों में यदि छात्र या व्यक्ति प्रवासित राज्य में आवेदन करते हैं, जहां उन राज्यों या क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना, अध्ययन या प्रवेश जारी रखने के लिए कोई सुविधा या संरक्षण दिया जा सकता है, तो उस आधार पर कुछ विचार किया जाना वांछनीय है। इसलिए, यह आवश्यक और संभवतः वांछनीय होगा कि विधानमंडल या संसद इस पहलू को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त विधानों पर विचार करें, ताकि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के प्रावधानों के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए गए अधिकारों पर उचित प्रभाव डाला जा सके। यह एक ऐसा मामला है जिस पर राज्य विधानमंडल या संसद उचित रूप से विचार कर सकते हैं।"

10. संविधान पीठ ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज करते हुए कि प्रवास पर संबंधित व्यक्ति की जाति या जनजाति नहीं बदलती है और यदि ऐसे व्यक्ति को उस राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध रियायतों, लाभों और विशेषाधिकारों से वंचित किया जाता है,

CamScanner

जिसमें वह प्रवास करता है, तो ऐसा इनकार संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, जिसमें समानता और समान व्यवहार के अधिकार से वंचित किया जाएगा, यह टिप्पणी की कि इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। एक्शन कमेटी (सुप्रा) के मामले में संविधान पीठ द्वारा उठाया गया प्रश्न इस प्रकार था:–

"जहां संविधान के प्रयोजनों के लिए राज्य ए के संबंध में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट जाति या जनजाति से संबंधित कोई व्यक्ति राज्य बी में प्रवास करता है, जहां समान नामकरण वाली कोई जाति या जनजाति संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य बी के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट है, क्या वह व्यक्ति राज्य बी में अनुसूचित जातियों और/या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को स्वीकार्य विशेषाधिकारों और लाभों का दावा करने का हकदार होगा?"

सर्वोच्च न्यायालय ने मर्री चंद्रा (सुप्रा) के फैसले का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:–

"यह भी समझना होगा कि किसी भी दो अनुच्छेदों के तहत जातियों या जनजातियों को निर्दिष्ट करने से पहले राष्ट्रपति, किसी राज्य के मामले में, उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए, जब राष्ट्रपति द्वारा राज्य ए के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद किसी वर्ग को निर्दिष्ट किया जाता है, तो यह समझना मुश्किल है कि उस राज्य के संबंध में किए गए उस विनिर्देश को किसी अन्य राज्य के संबंध में विनिर्देश के रूप में कैसे माना जा सकता है, जिसके राज्यपाल से राष्ट्रपति ने परामर्श नहीं किया है। यह सच है कि यह विनिर्देश न केवल उस राज्य के संबंध में है, जिसके राज्यपाल से परामर्श किया गया है, बल्कि 'इस संविधान के प्रयोजनों के लिए' है, जिसका अर्थ है संविधान के विभिन्न प्रावधान जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं। संविधान पीठ ने इन अनुच्छेदों से संबंधित संविधान सभा में बहस का उल्लेख करने के बाद, यह टिप्पणी की है कि हालांकि यह सच है कि कोई व्यक्ति प्रवास के कारण अपनी जाति/जनजाति से संबंधित नहीं रहता है, लेकिन उसके पास बेहतर और अधिक सामाजिक रूप से स्वतंत्र और उदार वातावरण होता है और यदि सामाजिक रूप से उन्नत क्षेत्रों में पर्याप्त लंबा समय बिताया जाता है, तो विशेष रूप से वंचित समुदाय से संबंधित होने के कारण होने वाली बाधाएँ और बाधाएँ कम नहीं होती हैं। उसके विकास में बाधा उत्पन्न होती है तथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिभा को खिलने तथा फलने–फूलने का पूरा अवसर मिलता है। यह समझते हुए कि ये सामाजिक समायोजन की समस्याएँ हैं, यह देखा गया कि इन्हें देश की अखंडता के मोज़ेक में इस तरह संतुलित किया जाना चाहिए कि कोई भी वर्ग या समुदाय दूसरे समुदाय को नुकसान या असंतोष न पहुँचाए। इसलिए, संविधान पीठ ने कहा, देश के किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को तब तक और उस सीमा तक संरक्षण दिया जाना चाहिए, जब तक वे दूसरों के बराबर होने के लिए हकदार हैं, लेकिन जो लोग दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे समुदाय के उस हिस्से के वंचित और विकलांग लोगों के लिए रास्ता बनाएँ जो उन क्षेत्रों में विकलांगता से पीड़ित हैं।"

11. संतलाल लाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2010) 32 आरसीआर (सिविल) 288 के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि "क्या कोई व्यक्ति जो प्रासंगिक राष्ट्रपति अधिसूचना की तिथि पर उस क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी नहीं था जो अब महाराष्ट्र राज्य का गठन करता है, राज्य में आरक्षण के लाभ का हकदार होगा", यह देखा कि प्रासंगिक बात प्रवास की तिथि नहीं है, बल्कि अनुसूची में जाति या जनजाति को शामिल करने की तिथि है। व्यक्ति को

CamScanner

राष्ट्रपति अधिसूचना की तिथि पर उस भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए, जहां से वह व्यक्ति लाभ का दावा करता है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति अधिसूचना की तिथि के बाद किसी अन्य राज्य का हिस्सा बनने वाले भौगोलिक क्षेत्र में प्रवास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रवासी माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर भरोसा करने के बाद, तैयार किए गए प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित शब्दों में दिया गया:-

"अनुसूचित जाति से संबंधित प्रवासी के मामले में, जो 10.3.1950 को उस क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी नहीं था, जो अब महाराष्ट्र राज्य का गठन करता है और अनुसूचित जनजाति के मामले में, नियम 5 पर विचार करते हुए, 6.9.1950 को, महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में आरक्षण के लाभ के हकदार नहीं होंगे। उन्हें और उनकी संतानों को मूल राज्य में आरक्षण का लाभ मिलना जारी रहेगा।"

12. इस निर्णय ने प्रवास के राज्य में जन्मे प्रवासियों के बच्चों की स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार, अब निर्धारित कानून के अनुसार जो स्थिति है वह यह है कि न केवल पहली पीढ़ी के प्रवासी बल्कि अधिसूचना की प्रभावी तिथि के बाद पैदा हुए उनके बच्चे और आगे की पीढ़ियाँ प्रवास के राज्य से अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए निर्धारित कोई भी लाभ पाने के हकदार नहीं हैं, भले ही उनके नाम से उनकी जाति प्रवास के राज्य और/या उनके मूल राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त हो। इसके अलावा, मूल राज्य किसी राज्य में जन्म या अधिवास (निवासी) द्वारा परिभाषित नहीं होता है। इसे भारत सरकार द्वारा 22.03.1977 के संचार के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधिसूचना की तिथि के बाद पैदा हुए बच्चों के लिए भी प्रासंगिक अधिसूचना के समय स्थायी निवास को ही देखा जाना चाहिए। और प्रासंगिक अधिसूचना के समय स्थायी निवास के उस स्थान के निर्धारित राजस्व अधिकारी ही जाति प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। उक्त संचार ने एक्शन कमेटी (सुप्रा) के मामले में न्यायिक जांच पास कर ली है।

13. हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य , (2019) 15 एससीसी 664 में देखा कि मैरी चंद्रा और एक्शन कमेटी में इस न्यायालय के दो संविधान पीठ के फैसलों ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि सिर्फ इसलिए कि प्रवासी राज्य में उसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, प्रवासी को प्रवासी राज्य की अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है और राज्य द्वारा प्रवासी को जाति प्रमाण पत्र जारी करना इन संविधान पीठ के फैसलों की कठोरता को कम नहीं कर सकता है।

14. इसलिए, जहां तक प्रवासी की स्थिति का सवाल है, कानून स्पष्ट और स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति जाति से संबंधित लाभ केवल मूल राज्य में ही ले सकता है, न कि उस राज्य में जहां वह किसी भी कारण से प्रवास कर गया है।

15. यहां एक और सवाल यह उठता है कि क्या दोनों संविधान पीठों द्वारा निर्धारित कानून केवल शैक्षणिक और सेवा उद्देश्यों के लिए मांगे गए आरक्षण लाभ से संबंधित मामलों पर लागू होता है, या यह अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित सभी मामलों तक विस्तारित होता है। इसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने भादर राम बनाम जस्सा राम, (2022) 4 एससीसी 259 में अपने नवीनतम फैसले में दिया है, जिसमें कहा गया है कि एक्शन कमेटी (सुप्रा) के मामले में दिया गया फैसला संपत्ति की बिक्री/बिक्री से संबंधित विवाद पर भी पूरी ताकत से लागू होगा क्योंकि एक्शन कमेटी (सुप्रा) के मामले में दिए गए तर्क व्याख्या पर और भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के खंड I के सीधे पढ़ने पर

CamScanner

आधारित हैं। और इस निर्णय की प्रयोज्यता को केवल रोजगार, शिक्षा या इसी प्रकार के संबंध में सीमित करने तथा संपत्ति की खरीद और बिक्री के संबंध में इसे लागू न करने का कोई कारण नहीं है, जैसा कि राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि की बिक्री और खरीद के वर्तमान मामले में है और जब उक्त भूमि मूल भूमि मालिक को अनुसूचित जाति के भूमिहीन व्यक्ति के रूप में आवंटित की गई थी।

16 इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून यह है कि कोई व्यक्ति और उसकी संतान केवल मूल राज्य से ही आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, अर्थात वह राज्य जहां प्रासंगिक अधिसूचना की तिथि (वर्ष 1950) पर उनका स्थायी निवास था और किसी भी परिस्थिति में यह उस जाति के प्रवासियों को नहीं दिया जा सकता है जो प्रासंगिक अधिसूचना के बाद राज्य में आए हैं, भले ही वे बहुत लंबे समय तक प्रवास वाले राज्य में रहे हों, उनके बच्चे या पोते–पोतियां उसी राज्य में पैदा हुए और पले–बढ़े हों, भले ही उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की हो और उसी राज्य में नौकरी की हो या व्यवसाय स्थापित किया हो या भले ही उन्होंने उस राज्य में कितनी भी जमीन और संपत्ति अर्जित की हो। कानून के तहत इस प्रावधान को कमजोर करना और किसी व्यक्ति को इस आधार पर प्रवास वाले राज्य से अनुसूचित जाति के लिए लाभ प्राप्त करने की अनुमति देना निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है कि वह उस राज्य में पैदा हुआ था या 15 साल या उससे अधिक समय तक उस राज्य में रहने के कारण उस राज्य का निवासी बन गया है।

अतः उपरोक्तानुसार संवैधानिक व्यवस्था, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न मा0 न्यायालयों एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में श्री शम्भू पासवान को जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर उत्तराखण्ड के मूल निवासी अनुसूचित जाति के अधिकारों को संरक्षित करते हुये नगर निगम ऋषिकेश में मेयर पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित होने के मध्यनजर निर्वाचन को रद्द करते हुये पुनः निर्वाचन प्रस्तावित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

दिनांक 10–04–2025

(डाक प्राप्ति)
मुख्य सचिव कार्यालय

सुरेश सिंह,
प्रदेश प्रवक्ता, उत्तराखंड बेरोज़गार संघ
मो० 9568995137
ई-मेल- sureshsingh112211@gmail.com

प्रतिलिपि: उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित
1.सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता, उत्तराखंड शासन ।
2.सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखंड शासन ।

CamScanner